R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 10
अप्रैल 2017

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग पर्यवेक्षण

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने 13 अप्रैल 2017 को बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क (PCA) की अब समीक्षा की। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों के वित्तीय परिणामों के आधार पर संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क (PCA) के उपबंध 1 अप्रैल 2017 से लागू होंगे। तीन वर्ष के बाद इस फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाएगी। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क (PCA) के होते हुए भी, यदि रिज़र्व बैंक उचित समझेगा तो उक्त फ्रेमवर्क के अतिरिक्त वह अन्य सुधारात्मक कार्रवाई भी कर सकेगा। पीसीए फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार है:

- संशोधित फ्रेमवर्क में पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता निगरानी के प्रमुख क्षेत्र बने रहेंगे;
- पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए जिन इंडिकटरों को ट्रैक किया जाएगा वे क्रमशः सीआरएआर / कॉमन ईक्विटी टियर ख अनुपात, नेट एनपीए अनुपात और परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन एसेट्स) होंगे;
- पीसीए फ्रेमवर्क के भाग के रूप में अतिरिक्त निगरानी के तौर पर लीवरेज की निगरानी की जाएगी;
- जोखिम संबंधी किसी थ्रेशोल्ड के उल्लंघन पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना लागू की जाएगी;
- पहचाने गए इंडिकेटरों के तहत प्रारम्भिक (threshold) जोखिम सीमा के उल्लंघन पर, पीसीए फ्रेमवर्क भारत में परिचालनकर्ता सभी बैंकों पर निरपवाद रूप से लागू होगा जिनमें छोटे बैंक और शाखाओं या सहायक कंपनियों के जरिए परिचालन करने वाले विदेशी बैंक भी शामिल हैं;और
- लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों/निष्कर्षों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत रखा जा सकेगा। हालांकि, परिस्थितिजन्य मामले में, रिजर्व बैंक एक वर्ष के दौरान भी किसी बैंक पर पीसीए (एक थ्रेशोल्ड से दूसरे थ्रेशोल्ड में अंतरण सहित) को लागू कर सकता है।

अनिवार्य और स्वविवेकाधीन कार्रवाई

निर्धारण	अनिवार्य कार्रवाई	स्वविवेकाधीन कार्रवाई
जोखिम थ्रेशोल्ड 1	• लाभांश वितरण/लाभ के विप्रेषण पर प्रतिबंध • विदेशी बैंकों के मामले में प्रवर्तक/मालिक/मूल कंपनी पूंजी (भारत) लाएं	**सामान्य मेन्यू** • विशेष पर्यवेक्षी विचार-विमर्श • रणनीति से संबंधित • नियंत्रण से संबंधित • पूंजी से संबंधित • ऋण जोखिम से संबंधित • बाजार जोखिम से संबंधित • मानव संसाधन से संबंधित • लाभप्रदता से संबंधित • परिचालन से संबंधित • अन्य मामले
जोखिम थ्रेशोल्ड 2	• थ्रेसहोल्ड 1 की अनिवार्य कार्रवाई के अलावा, • घरेलू/विदेश में शाखा विस्तार पर प्रतिबंध • कवरेज काल (regime) के दौरान उच्चतर प्रावधान	
जोखिम थ्रेशोल्ड 3	• थ्रेसहोल्ड 1 की अनिवार्य कार्रवाई के अलावा, • घरेलू/विदेश में शाखा विस्तार पर प्रतिबंध • यथा लागू प्रबंधन को प्रतिपूर्ति और निदेशकों की फीस पर प्रतिबंध/रोक	

(https:// www. rbi.org.in/Scripts/ NotificationUser.aspx?Id=10921&Mode=0)

घोष समिति की सिफारिशों का अनुपालन

विभिन्न बैंकों में घोष कमेटी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए, 20 अप्रैल 2017 को रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि वे घोष समिति की सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को न करें, हालांकि, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि

i) इन सिफारिशों का अनुपालन पूर्ण और निरंतर है; तथा

ii) इन सिफारिशों को उचित रूप से बैंकों के आंतरिक निरीक्षण / लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में देखा गया है और विधिवत उनके मैनुअल / निर्देशों आदि में प्रलेखित किया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10934Mode=0)

बैंकिंग विनियमन

मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका

प्रभावी जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में,रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2017 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें, अन्य बातों के साथ, क्रेडिट स्वीकृति प्रक्रिया से क्रेडिट जोखिम प्रबंधन कार्य को अलग करने की व्यवस्था करना आवश्यक है। हालांकि, यह देखा गया है कि बैंक इस संबंध में विभिन्न प्रथाओं का पालन करते हैं। बैंकों द्वारा इस दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए, साथ ही, सर्वोत्तम प्रबंधन के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली को संरेखित करने के लिए, बैंकों को निम्नानुसार सलाह दी जाती है:

- उन्हें मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए एक बोर्ड-अनुमोदित पॉलिसी रखनी चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग पर्यवेक्षण	
• बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क	1
• घोष समिति की सिफारिशों का अनुपालन	1
बैंकिंग विनियमन	
• मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका	1
• आईएफएससी बैंकिंग इकाईयां अनुमेय कार्यकलाप	2
• रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (आईएनआईटी) की ईकाइयों में बैंकों का निवेश	3
• बैंकों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन	3
• मानक अग्रिमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	3
• लेखों की टिप्पणियों में प्रकटन	3
• अप्रैल 2017 से मासिक आधार पर ब्याज दर आंकड़े	4
प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18	2
वित्तीय समावेशन और विकास	
• वित्तीय साक्षरता सप्ताह	4
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• एआरसी के लिए एनओएफ की आवश्यकता	4
सरकारी और बैंक लेखा	
• सरकारी बैंकिंग के लिए प्रणालियां और नियंत्रण	4
वित्तीय बाजार परिचालन	
• सुरक्षा प्रतिस्थापन सुविधा	4
ऋण प्रबंधन	
• त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा	4

- सीआरओ की नियुक्ति बैंकों के निदेशक मंडल की मंजूरी से एक निश्चित अवधि के लिए होगी। बोर्ड की मंजूरी से कार्यकाल पूरा होने से पहले सीआरओ को अपने पद से स्थानांतरित/हटाया जा सकता है और ऐसे समय-पूर्व स्थानांतरण / निष्कासन को बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को सूचित किया जाएगा। सूचीबद्ध बैंकों के मामले में, सीआरओ के कार्यवधि में कोई भी बदलाव को स्टॉक एक्सचेंजों को भी रिपोर्ट किया जाएगा।
- सीआरओ बैंक के पदानुक्रम में एक वरिष्ठ अधिकारी होगा और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों में आवश्यक और पर्याप्त व्यावसायिक योग्यता/अनुभव होगा।
- सीआरओ को बोर्ड की एमडी और सीईओ / जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को सीधी रिपोर्टिंग करना होगी। अगर सीआरओ एमडी और सीईओ को रिपोर्ट करता है, तो कम से कम तिमाही आधार पर,एमडी और सीईओ की उपस्थिति के बिना, आरएमसी सीआरओ को एकैक आधार पर मिलेंगे।
- सीआरओ के पास बैंक के कारोबारी कार्यक्षेत्र के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं होगा और उन्हें कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिया जाएगा।
- यदि सीआरओ क्रेडिट स्वीकृति प्रक्रिया से जुड़ा है, तो यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि क्या सीआरओ की भूमिका एक सलाहकार या निर्णय निर्माता की होगी। सीआरओ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति में आवश्यक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाएगा।
- उच्च मूल्य प्रस्तावों के लिए क्रेडिट स्वीकृति प्रक्रिया में समिति के प्रस्ताव का पालन करने वाले बैंकों में, यदि सीआरओ क्रेडिट स्वीकृति प्रक्रिया में निर्णय निर्माताओं में से एक है, उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा और उन सभी सदस्यों को जो क्रेडिट स्वीकृति प्रक्रिया का हिस्सा हैं, क्रेडिट प्रस्ताव से संबंधित जोखिम परिप्रेक्ष्य सहित सभी पहलुओं के लिए व्यक्तिगत और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे। अगर सीआरओ क्रेडिट स्वीकृति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो उसकी भूमिका एक सलाहकार तक सीमित होगी।
- उन बैंकों में जो उच्च मूल्य क्रेडिट की मंजूरी के लिए समिति के प्रस्ताव का पालन नहीं करते हैं, सीआरओ केवल मंजूरी प्रक्रिया में सलाहकार हो सकता है और उसे कोई स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- एक सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका में सीआरओ क्रेडिट स्वीकृति/अनुमोदन समिति में समिति की कार्यवाही में किसी भी मतदान अधिकार के बिना एक आमंत्रक होगा।
- यहां पर कोई 'दोहरी हैंटिंग' नहीं होगी, अर्थात सीआरओ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य ऑपरेटिंग अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य या किसी अन्य कार्य के प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10948Mode=0)

आईएफएससी बैंकिंग इकाईयां अनुमेय कार्यकलाप

रिज़र्व बैंक ने 10 अप्रैल 2017 को आईएफएससी में भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयां (आईबीयू) और वित्तीय संस्थाओं के परिचालन से संबंधित अपने निदेशों में निम्नानुसार संशोधन किया है :

- आईबीयू अपने निदेशक बोर्ड से पूर्व अनुमोदन के साथ संरचित उत्पादों सहित वे डेरिवेटिव लेनदेन कर सकते हैं जिनकी अनुमति भारत में परिचालनरत बैंकों को रिज़र्व बैंक के मौजूदा निदेशों के अनुसार लेनदेन करने हेतु दी गई है। तथापि, आईबीयू को अन्य किसी प्रकार के डेरिवेटिव उत्पाद प्रस्तावित करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की जरूरत है। रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त

प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौथी बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। बैठक में सभी सदस्य डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी(2)(सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का अधिकारी); डॉ. विरल वी. आचार्य, उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी उपस्थित हुए और इसकी अध्यक्षता डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा की गई।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए।

एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख के अनुरूप है जो वृद्धि को सहारा देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति का 4% का उद्देश्य +/- 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर हासिल करने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है। इस निर्णय को रेखांकित करने वाले मुख्य विचारों को नीचे वक्तव्य में दिया गया

मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अन्य विशेषताएं

- सकल योजित मूल्य (जीवीए) वृद्धि 2016-17 में 6.7 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत होने का अनुमान है,जिसमें जोखिमों को संतुलित रखा गया है।
- प्रगतिशील पुनर्निर्माण के साथ, बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता 4 जनवरी 2017 को ₹ 7,956 बिलियन के शिखर से फरवरी में ₹ 6,014 बिलियन के औसत और आगे मार्च में ₹ 4,806 बिलियन कम हुई।
- 31 मार्च 2017 को विदेशी मुद्रा रिज़र्व का स्तर 369.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियां

मौद्रिक नीति परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचा

- रिज़र्व बैंक लिखतों के मिश्रण का उपयोग करेगा जैसे कि परिवर्तनशील रिवर्स रेपो नीलामियां, खजाना बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों का उपयोग करते हुए बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस), खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ खरीद और बिक्री), ताकि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अनुरूप सभी सामान्य चलनिधि अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) का प्रस्ताव,सरकार के पास विचाराधीन है।
- मौद्रिक नीति दर के संकुचन के परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) संबंधी रूपरेखा अप्रैल 2017 के मध्य तक जारी की जाएगी।
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) के लिए आवश्यक निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) के न्यूनतम स्तर को ₹ 2 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 100 करोड़ कर दिया गया।
- पीसीई वंर्धित बांड के निर्गम के वक्त पीसीई के लिए पूंजी संबंधी आवश्यकता अनुदेश अप्रैल 2017 के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे।
- 'बैंकिंग केंद्र' क्या है और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में बैंकिंग केंद्रों को खोलने के प्रयोजनार्थ बैंक की भिन्न-भिन्न रूप में उपस्थिति में एकरूपता लाने के संबंध में स्पष्टीकरण के विस्तृत दिशानिर्देश अप्रैल 2017 के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे।

वित्तीय बाजार

- त्रि-पक्षीय रेपो की शुरूआत करने से संबंधित ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क अप्रैल 2017 के मध्य तक आम जनता के व्यापक फीडबैक के लिए मुख्य बेवसाइट पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
- फॉरेक्स एक्पोज़र के लिए हेजिंग सुविधा को सरल बनाना से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रारूप अप्रैल 2017 के मध्य तक आम जनता के व्यापक फीडबैक के लिए मुख्य बेवसाइट पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

भुगतान और निपटान

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सिस्टम की कुशलता तथा ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए,11 अतिरिक्त निपटान बैच पूर्वाह्न 8:30 से प्रारंभ हो जाएंगे जिससे दिनभर में आधे घंटे के बैचों की कुल संख्या 23 हो जाएगी, बैच की शुरूआत पूर्वाह्न 8:00 बजे से होगी और अंतिम बैच का समय यथावत अर्थात शाम 7:00 रहेगा।
- भारत में प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारी करना और उनके परिचालन से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश मई 2017 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

वित्तीय समावेशन

- वित्तीय समावेशन पर एक प्रायोगिक परियोजना को गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा प्रायोजक बैंक के साथ मिलकर 9 राज्यों के 80 ब्लॉकों में प्रारंभ किया जाएगा। सीएफएल की स्थापना एक समान नाम और एम समान लोगो ''वित्तीय साक्षरता के लिए मुद्रा-वार केंद्र'' के अंतर्गत की जाएगी।

करने से पहले बैंक सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आईबीयू के पास कीमत, मूल्य और पूंजी प्रभार का परिकलन करने तथा प्रस्तावित किए जाने वाले उत्पादों/लेनदेनों से जुड़े जोखिमों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो और वे इस प्रकार के लेनदेन करने के लिए अपने बोर्ड से अनुमोदन भी प्राप्त करें।

- आईबीयू द्वारा गैर-बैंकों से स्वीकृत स्थायी जमाराशियों का एक वर्ष के अंदर समय से पहले भुगतान नहीं किया जा सकता। तथापि, आईबीयू से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए गैर-बैंकों से संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत स्थायी जमाराशियों को या विनिमय के पक्ष में मार्जिन के रूप में जमा की गई राशि को ऋण की अदायगी में चूक होने या मार्जिन कॉल को पूरा करने की स्थिति समयपूर्व समायोजित किया जा सकता है।
- आईबीयू ब्याज दर और उन करेंसी डेरिवेटिव खंडों में ट्रेडिंग करने के लिए आईएफएससी में एक्सचेंज का ट्रेडिंग सदस्य हो सकती है जिनकी अनुमति रिज़र्व बैंक के मौजूदा निदेशों के अनुसार भारत में परिचालनरत बैंकों को प्रदान की गई है।
- आईबीयू को कतिपय शर्तों के अधीन किसी भी डेरिवेटिव खंड में समाशोधन और निपटान हेतु आईएफएससी में एक्सचेंज का व्यावसायिक समाशोधन सदस्य (पीसीएम) बन सकता है।
- आईबीयू अनुमति प्राप्त है कि वे आईएफएससी स्टॉक ब्रोकिंग/कमोडिटी ब्रोकिंग संस्थाओं को बैंक गारंटी और लघुकालिक ऋण प्रदान कर सकती हैं।
- आईएफएससी में स्थापित वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्था की शाखा तथा भारत सरकार द्वारा ऐसी संस्था के रूप में अनुमत/मान्यताप्राप्त या विनियामकीय प्राधिकरण को भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। भारत से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में कारोबारी हित है, वह अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए घरेलू क्षेत्र में प्राधिकृत व्यापारी के पास आईएनआर में विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआरए) कायम रख सकता है। तदनुसार, आईएफएससी में परिचालनरत कोई भी वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्था की कोई शाखा जिसमें आईबीयू शामिल है, तथा भारत सरकार द्वारा ऐसी संस्था के रूप में अनुमत/मान्यताप्राप्त है या विनियामकीय प्राधिकरण है, को अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए घरेलू क्षेत्र में प्राधिकृत व्यापारी के पास आईएनआर में विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआरए) कायम रख सकता है। इन खातों में मौजूदा फेमा विनियमों के अधीन अंतरराष्ट्रीय विप्रेषणों के लिए उचित चैनल के माध्यम से केवल विदेशी करेंसी विप्रेषण द्वारा निधियन किया जा सकता है। वित्तीय संस्थाएं ग्राहक की क्षमता में अपने एसएनआरआरए से फेमा विनियमों के अंतर्गत अनुमेय भुगतान कर सकती हैं जिसके लिए उस घरेलू बैंक को अनुदेश दिया जाए जिसमें एसएनआरआरए है।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने आईएफएससी में आईबीयू और वित्तीय संस्थाओं के परिचालन के संबंध में स्टेकधारकों के मुद्दों, सुझावों और प्रश्नों की जांच करने के बाद निदेशों में संशोधन किया।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10918Mode=0)

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (आईएनवीआईटी) की ईकाइयों में बैंकों का निवेश

रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2017 को बैंकों को अनुमति दी कि वे शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों/डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुखी म्यूच्युअल फंडों की ईकाइयों में सीधे निवेश के लिए अनुमत उनकी निवल मालियत और वेंचर पूंजी फंडों (वीसीएफ) पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों में एक्सपोज़र की कुल 20 प्रतिशत की सीमा के अंदर रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (आईएनवीआईटी) में भागीदारी कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

- बैंक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (आईएनवीआईटी) के एक्सपोज़र पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति शुरू करें जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में कुल एक्सपोज़र सीमा के अंदर ऐसे निवेश पर आंतरिक सीमा निर्धारित की गई हो;
- बैंक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (आईएनवीआईटी) की यूनिट पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करेंगे; और
- बैंकों द्वारा इक्विटी निवेश, निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यनिर्धारण, वाणिज्यिक रियल एस्टेट एक्सपोज़र और बड़े एक्सपोज़र ढांचे पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथालागू विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का बैंकों द्वारा पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10929Mode=0)

बैंकों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन

रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2017 को स्पष्ट किया कि संचित लाभ के प्रत्यावर्तन को गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों में ब्याज का निपटान या आंशिक निपटान नहीं समझा जाएगा। तदनुसार, बैंक विदेशी परिचालनों से प्राप्त लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण रिज़र्व में अनुपातिक विनिमय अभिलाभ और हानि की अपने लाभ और हानि खाते में पहचान नहीं करेंगे।

पृष्ठभूमि

यह देखा गया है कि बैंक समुद्रपारीय शाखाओं से संचित लाभ/प्रतिधारित अर्जन के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण रिज़र्व (एफसीटीआर) के अभिलाभ की पहचान लाभ और हानि खाते में कर रहे हैं जिसके लिए वे इसे आंशिक रूप से निपटान किया हुआ मान रहे हैं। अन्य के बीच भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच की गई।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10930Mode=0)

मानक अग्रिमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि बैंकों के पास हर समय ऋण और अग्रिमों के लिए पर्याप्त प्रावधान है, रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2017 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निम्नानुसार सूचित किया :

i) बैंक विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम और दबाव के मूल्यांकन के आधार पर विनियामकीय न्यूनतम से उच्चतर दरों पर मानक आस्तियों के लिए प्रावधान करने हेतु बोर्ड से अनुमोदित नीति शुरू करेंगे;

ii) नीति में कम से कम तिमाही आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जरूरत रहेगी जिन क्षेत्रों पर बैंक का एक्सपोजर है जिससे कि वर्तमान और उभरते जोखिमों और इनके दबाव का मूल्यांकन किया जा सके। समीक्षा में मात्रात्मक और गुणवत्ता पहलू होंगे जैसे ऋण-इक्विटी अनुपात, ब्याज कवरेज़ अनुपात, लाभ मार्जिन, डाउनग्रेड अनुपात की तुलना में रेटिंग्स अपग्रेड, क्षेत्रकीय अनर्जक आस्ति/दबावग्रस्त आस्ति, उद्योग कार्यनिष्पादन और संभावना, विधिक/विनियामकीय मुद्दे जिनका सामना इस क्षेत्र द्वारा किया जाता है आदि। समीक्षा में क्षेत्र विशिष्ट मानदंड भी शामिल हो सकते हैं;

iii) हाल ही में, चूंकि टेलिकॉम क्षेत्र दबावग्रस्त वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट कर रहा है और वर्तमान में इस क्षेत्र का ब्याज कवरेज़ अनुपात 1 से कम है, इसलिए बैंकों के निदेशक बोर्ड 30 जून 2017 तक टेलिकॉम क्षेत्र की समीक्षा कर सकते हैं और इस क्षेत्र में मानक आस्तियों के लिए उच्चतर दरों पर प्रावधान करने पर विचार कर सकते हैं ताकि तुलनपत्रों में आवश्यक लचीलापन बनाया जा सके जिससे कि इस क्षेत्र के एक्सपोज़र की गुणवत्ता पर दबाव भविष्य की किसी तारीख पर प्रतिबिंबित हो सके। इसके अतिरिक्त बैंक इस क्षेत्र के एक्सपोजर को निकट निगरानी के अधीन करें।

यह सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रावधानीकरण दर विनियामकीय न्यूनतम दरें है और बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अर्थव्यवस्था के दबावग्रस्त क्षेत्रों के अग्रिमों के संबंध में उच्चतर दरों पर प्रावधान करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10931Mode=0)

लेखों की टिप्पणियों में प्रकटन

आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बेहतर अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2017 को बैंकों को सूचित किया कि वे उचित प्रकटन करें जहां भी (क) रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित अतिरिक्त प्रावधानीकरण आवश्यकताएं संदर्भ अवधि के लिए कर के बाद के निवल लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक हो या (ख) रिज़र्व बैंक द्वारा चिह्नित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के वृद्धिशील सकल एनपीए से 15 प्रतिशत अधिक हो या दोनों स्थिति हों।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक आय पहचान, आस्ति गुणवत्ता और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) पर अपने पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के भाग के रूप में मौजूदा मानदंडों के अनुसार बैंकों के अनुपालन का आकलन करता है। कई उदाहरण सामने आए हैं जब बैंकों के आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में रिज़र्व बैंक के मानदंडों से काफी विसंगति देखी गई है, इस प्रकार प्रकाशित किए गए वित्तीय विवरण बैंक की वित्तीय स्थिति का वास्तविक और सही नजरिया नहीं दर्शाते हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10932Mode=0)

अप्रैल 2017 से मासिक आधार पर ब्याज दर आंकड़े

ब्याज दर के आंकड़ों को जारी करने की बारंबारता और समयबद्धता में सुधार लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 03 अप्रैल 2017 को यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित चार तालिकाओं को अब अप्रैल 2017 से मासिक आधार पर जारी किया जाएगा:

- बकाया रुपए ऋणों पर बैंक समूह-वार डब्ल्यूएएलआर;
- स्वीकृत नए रुपए ऋणों पर बैंक समूह-वार डब्ल्यूएएलआर;
- व्यक्तिगत बैंक-वार 1 वर्षीय एमसीएलआर; और
- बैंक समूह-वार 1 वर्षीय औसत एमसीएलआर
- इन तालिकाओं को वर्तमान में त्रैमासिक आधार पर जारी किया जा रहा हैं ।

रिजर्व बैंक जून 2002 को समाप्त तिमाही के बाद से हर तिमाही में बैंक की उधार दरों पर आंकडें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता रहा है।

बैंक-समूह-वार भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों पर एक नई तालिका भी शुरू की गई है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=40045)

वित्तीय समावेशन और विकास

वित्तीय साक्षरता सप्ताह

वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए रिज़र्व बैंक ने 13 अप्रैल 2017 को यह निर्णय लिया कि देश भर में 5 से 9 जून 2017 के सप्ताह को वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जाए।

इस साक्षरता सप्ताह में केवाईसी, ऋण अनुशासन अभ्यास, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#) जैसे चार मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उपरोक्त मुख्य विषयों पर आधारित पांच संदेश जिनका आम जनता में प्रचारप्रसार किया जाएगा रिज़र्व बैंक के वित्तीय शिक्षण वेबपेज के डाउनलोड खंड में ''वित्तीय साक्षरता सप्ताह'' के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंक शाखाओं में प्रदर्शन के लिए पोस्टर (ए3 आकार), कैम्प में सहभागियों में वितरित करने के लिए फ्लायर (ए5 आकार) और प्रशिक्षकों द्वारा कैम्प के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले चार्ट (ए2 आकार) के स्थानीय भाषा में वर्शन मुद्रित और उपलब्ध कराये जायेंगे।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे मई के पहले दो सप्ताहों के दौरान रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से पोस्टर/ फ्लायर/ चार्ट लेने और उसे वित्तीय साक्षरता सप्ताह से काफी पहले अपनी शाखाओं एवं एफएलसी में वितरित करने की यथोचित व्यवस्था करें।

इस सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है :

- बैंक अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों को सूचित करें कि वे पिछड़े/ बैंकरहित क्षेत्रों में पांच दिनों में से प्रति दिन विशेष कैम्प आयोजित करें। एफएलसी परामर्शदाता प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु ए2 आकार के चार्ट का प्रयोग करें। एफएलसी, सहभागियों में ए5 आकार की सहायक सामग्री का वितरण करें।
- देश भर में सभी बैंक शाखाएं शाखा भवन के भीतर महत्वपूर्ण स्थान पर पांच संदेशों पर ए3 आकार के पोस्टर स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करें। वित्तीय साक्षरता सप्ताह समाप्त होने के बाद भी कम से कम छः माह के लिए इन पोस्टरों को शाखा भवन में प्रदर्शित करना जारी रखा जाना चाहिए।
- बैंक अपनी वेबसाइट के होम पेज पर प्रति दिन एक संदेश अंग्रेजी और हिंदी में प्रदर्शित करें और देश भर में एटीएम स्क्रीन पर भी प्रति दिन एक संदेश अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करें।
- सभी ग्रामीण शाखाएं सप्ताह के पांच दिनों में से किसी एक दिन शाखा के कार्य समय के बाद एक कैम्प आयोजित करें।
- वित्तीय साक्षरता के बारे में रुचि/ जागरुकता निर्माण करने हेतु आम जनता के लिए चार मुख्य विषयों पर ऑन लाइन क्विज़ का आयोजन किया जाएगा। हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से शीघ्र ही इस क्विज़ के संबंध में सूचना दी जाएगी।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान आम व्यक्ति तक पहुंचने का रिज़र्व बैंक का प्रयास है और इस कार्यक्रम की भव्य सफलता के लिए रिज़र्व बैंक समग्र बैंकिंग जगत से संपूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10920Mode=0)

गैर-बैंकिंग विनियमन

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) की आवश्यकता

रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2017 को सूचित किया है कि कोई भी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) दो करोड़ रुपये से कम निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) या रिज़र्व बैंक की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य उच्च राशि के बिना प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कारोबार या उसकी शुरूआत नहीं करेगी।

तदनुसार, और तनावग्रस्त संपत्तियों को समाधान करने में एआरसी की परिकल्पित बड़ी भूमिका और बैंकों द्वारा एआरसी को तनावग्रस्त संपत्तियों की बिक्री को नियंत्रित करने वाले हालिया नियामक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निरंतर आधार पर न्यूनतम एनओएफ की आवश्यकता को 100 करोड़ रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिसूचना की तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पहले से ही पंजीकृत सभी एआरसी जिनके पास उक्त तारीख को संशोधित न्यूनतम एनओएफ नहीं है उन्हें अधिकतम 31 मार्च 2019 तक 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम एनओएफ प्राप्त करना होगा। एआरसी उनके द्वारा किए गए अनुपालन के प्रमाण के रूप में आवधिक रूप से अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10949Mode=0)

सरकारी और बैंक लेखा

सरकारी बैंकिंग के लिए प्रणालियां और नियंत्रण

रिजर्व बैंक ने 7 अप्रैल, 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि बैंक शाखाओं में आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा में यह सत्यापित किया जाए कि सरकारी कारोबार सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसरण में ही किया जा रहा है। तदनुसार, बैंक शाखाओं में आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा, के दौरान अन्य बातों के अलावा, सरकारी बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे कि एजेंसी कमीशन दावों और पेंशन भुगतानों की भी जांच की जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10912Mode=0)

वित्तीय बाजार परिचालन

सुरक्षा प्रतिस्थापन सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 12 अप्रैल 2017 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित टर्म रिपो के दौरान बाजार सहभागियों को 17 अप्रैल 2017 से संपार्श्विक (प्रतिभूति) के प्रतिस्थापन की अनुमति दी थी।

बाजार प्रतिभागियों द्वारा प्रतिस्थापन के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियां भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित नवीनतम कीमतों के आधार पर समान बाजार मूल्य की होनी चाहिए।

यह सुविधा ई-कुबेर पोर्टल में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध होगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10919Mode=0)

ऋण प्रबंधन

त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2017 को त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा जारी किया। त्रि-पार्टी रेपो से बाजार सहभागी अंतर्निहित संपार्श्विक को अधिक कार्यकशुलता के साथ उपयोग कर सकेंगे और इससे भारत में मीयादी रेपो का विकास हो सकेगा। प्रारूप निदेश सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्डों दोनों पर त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने की अनुमति देते हैं।

प्रारूप ढांचे पर अभिमत 5 मई 2017 तक बाजार सहभागियों से आमंत्रित किए गए हैं। अभिमत ई-मेल या डाक के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुख्य भवन 400001 को भेजे जा सकते हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=40121)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।